



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26012020-215702
CG-DL-E-26012020-215702

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]
No. 330]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

का.आ. 362(अ).— जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 27.9.2019 को जारी आदेश सं.पीडी-12001/49/2019- कोफेपोसा में यह निदेश दिया गया था कि श्री अब्दुल हकीम पीपी @ अब्दुल हकीम पीपी, सुपुत्र श्री कुन्ही मोइदीन कुट्टी, निवासी पलास्सेरी पुलीक्कल हाउस, पालमादातिल, एआर नगर डाकघर, कुल्लुमपुरम, मलप्पुरम को हिरासत में लिया जाए और सेन्ट्रल जेल एवं सुधार गृह, तिरुवनन्तपुरम, केरल में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने के साथ-साथ तस्करी के माल के अन्यथा लेन-देन से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का पालन न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक एवं राज्य पुलिस प्रमुख, केरल सरकार, तिरुवनन्तपुरम के सामने उपस्थित हो।

[सं.पीडी-12001/49/2019 - कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 24th January, 2020

S.O. 362(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/49/2019-COFEPOSA dated 27.9.2019 under the said sub-section directing that Shri Abdul Hakkeem PP @ Abdul Hakkim PP, S/o Shri Kunhi Moideen Kutty, R/o Palassery Pulikkal House, Palamadathil, A R Nagar PO, Kunnumpuram, Malappuram be detained and kept in Central Prison & Correctional Home, Thiruvananthapuram, Kerala, with a view to prevent him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police & State Police Chief, Government of Kerala, Thiruvananthapuram within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/49/2019-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.